प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधमसिंहनगर ।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0, उधमसिंहनगर ।

पत्र संख्या– 763 /स0क0/अधिनियम/2017–18 दिनांक 05 अगस्त 2017

विषयः– माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उत्तराखण्ड माता– पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2011 तथा अधिनियम के प्रारूप उधमसिंहनगर की बेवसाईट में डालने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड माता– पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2011 एवं तथा इसके कार्यालय स्तर पर कियान्वयन हेतु विविध प्रारूप पत्र निर्गत किये गये हैं ।

उक्त योजना के प्रचार– प्रसार एवं वरिष्ठ नागरिकजनों के प्रयोगार्थ माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड माता– पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2011 एवं तथा इसके कार्यालय स्तर पर कियान्वयन हेतु विविध प्रारूप पत्र की प्रतियॉ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि इन्हें जनपद उधमसिंहनगर की बेवसाईट पर डालने की कृपा करें ।

संलग्न–यथोक्त ।

भवदीय,

05/08/2017

(पी0सी0 जोशी)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधमसिंहनगर ।

Email- usnagardswo@gmail.com Phone/Fax no. 05944-250263

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 56)

[29 दिसम्बर, 2007]

संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों
के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी
उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम विस्तार, लागू होना और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होगा।